

अण्डरटेकिंग

मैं निवासी आज दिनांक..... को साउथ एक्सटेंशन स्कीम सेक्टर डी योजना हेतु आपसी समझौते के आधार पर अवाप्त भूमि नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को निः शुल्क समर्पित करने एवं नकद मुआवजे के बदले (20 प्रति गत आवासीय एवं 5 प्रति गत वाणिज्यिक) कुल 25 प्रति गत विकसित भूखण्ड प्राप्त करने हेतु आपस में निम्न प्रकार अण्डरटेकिंग प्रदान करता हूँ/करते है :-

साउथ एक्सटेंशन स्कीम सेक्टर डी हेतु ग्राम तीतरडी तहसील गिर्वा की खातेदारी भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	कुल रकबा (हेक्टर में)	नाम खातेदार/केता	खातेदार का हिस्सा
तीतरडी				

1- उक्त भूमि का अवार्ड राज्य सरकार द्वारा अपने पत्र क्रमांक प.6(24)नविवि/3/09 पार्ट 19.12.2012 से अनुमोदन किया गया है एवं राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प. 6(29)नविवि/3/2004 दिनांक 27.10.2005 के अनुसार अधिकतम 20 प्रति गत आवासीय एवं 5 प्रति गत व्यावसायिक भूमि दिये जाने का प्रावधान किया गया है, के अन्तर्गत राजस्व रिकार्ड के अनुसार उपरोक्त वर्णित स्वयं की खातेदारी/कय जुदा एवं कब्जे जुदा भूमि स्वेच्छा से निः शुल्क समस्त भार से मुक्त निहित करने हेतु समर्पित करता हूँ/करते है भविष्य में प्रथम पक्ष उक्त समर्पित भूमि पर कोई स्वामित्व/क्लेम नहीं करेगा

2- अवाप्त जुदा भूमि के संबंध स्वामित्व व उसके हक बाबत कोई विवाद नहीं है तथा अब तक भूमि का नकद मुआवजा प्राप्त नहीं किये है और यदि अवाप्त/अर्पित भूमि के स्वामित्व या हक के बारे में कोई विवाद पैदा हुआ तो जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी तथा निकाय हो आंवटित भूमि का कब्जा वापिस प्राप्त करने व पट्टा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

3- मैं/हम (प्रथम पक्ष) इस विषय में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6(29)नविवि/3/2004 दिनांक 27.10.2005 एवं समय समय पर जारी आदेशों के निर्देशों एवं भातों की पालना करूंगा/करेंगे।

4- हम खातेदारों/पथकर्तागणों की खातेदारीं अवार्ड जुदा भूमि के बदले विकसित भूखण्ड आंवटन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की बैठक दिनांक 16.11.2022 को निकाली गई ई- लॉटरी में प्राप्त भूखण्ड के आंवटन बाबत सहमति प्रदान करता/करते है।

5- जमाबन्दी के आधार पर समर्पित भूमि का विकसित भूखण्ड केवल उसी खातेदार/रजिस्टर्ड केता को आंवटित किया जा सकेगा, जिसकी भूमि अवाप्त की गई है। अन्य व्यक्तियों के नामों से भूखण्ड आंवटित नहीं किये जावेंगे।

6— उपरोक्त भूमि निर्विवादित है इस भूमि के स्वामित्व एवं कब्जे इत्यादि में कोई विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। समर्पित की जा रही भूमि का मुआवजें के रूप में कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है और ना ही इस भूमि के बाबत विक्रय अनुबन्ध/गिफ्ट/मुख्तियार नामा/अन्तरित या रहनामा आदि निश्पादित किया है तथा प्राप्त विकसित भूखण्डों के संबंध में भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसके निपटारे के संबंध में समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी स्वयं की होगी एवं जारी विकसित भूमि का आंवटन पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

7— उपरोक्त भूमि निर्विवाद स्वयं की है तथा समर्पित की जाने वाली भूमि के उतने ही हिस्से के स्वामी है, जिसके लिये प्रार्थी सहमति प्रस्तुत कर रहे हैं। उत्तराधिकारों/वारिसान् के संबंध में यदि कोई वाद अथवा विवाद मुआवजे के रूप में प्राप्त होने के संबंध में उत्पन्न होगा तो उसका निपटारा स्वयं करेगा।

8— उपरोक्त बिन्दु संख्या 01 से 07 में वर्णित तथ्य मिथ्या होने की स्थिति में निर्धारित दायित्व निश्पादित करने हेतु उत्तरदायी एवं वचनबद्ध होता हूँ।

यह है कि उक्त सहमति-पत्र, समर्पण पत्र के क्रमांक 01 से 08 ही सूचना मेरी निजी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य है। इसमें मैंने/हमने कोई भी तथ्य न ही छुपाया है। अतः यह सहमति-पत्र मैंने ही हवास एवं स्थिर बुद्धि व बिना किसी दबाव में स्वेच्छा से रूपये 500/-स्टाम्प व टाईप-पाईप के रूबरू दो गवाहान् लिख दिया है, जो जरूरत पड़े तो काम आवें।

हस्ताक्षर

दिनांक.....

स्थान.....

सक्षी

1— नाम :

पता :

साक्षी

2— नाम :

पता :

हस्ताक्षर

